

R. Solanki

98

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
PERMIT FORM

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA KANPUR
UNDER THE U.P. URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973

ID. NO:-190800113

Block /Sector:

Plot/House : Arazi No. 381,382 (Part)

SCHEME : NON SCHEME

Permit Date:- 15/05/2014

Application Date:19 /08/2013

Permit No:- 335/BHAWAN/2013-14

Area(Place):- TATIYA JHANAKOO

Land Usage:- GROUPHOUSING

Applicant's Name :-SRI KAMAL NATH MEHROTRA THROUGH ATTORNEY
SRI SHYAM NATH MEHROTRA

PresentAddress:- 1/1(2) KRISHNA NAGAR, KANPUR

Sanction vide order dated : 13/01/2014 V.C. build granted as per sanctioned building plan enclosed subject to the conditions as per annexure enclosed or written overleaf.

Validity Period:- Valid for five years from the date of Sanction for fresh map/One year in Case Of renewal.


15/5/14
Authorised Signatory

Copy to:- Officer Incharge (Enforcement) alongwith Sanctioned Copy of Map.

Authorised Signatory

अनुज्ञा की शर्त:-

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है, किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भू/गेह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्रदत्त होता है और न ही समाप्त होता है और न ही यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विवधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवं इससे स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भाँति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रात्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यो को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।
3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहे सार्वजनिक मार्ग पर नालियो के ऊपर पत्थर के रूप में ही अथवा आरकेड बालकनी, छज्जा, कारनिस और किसी प्रकार के प्रेक्षक के रूप में ही चाहे भले हो, ऐसे प्रेक्षक भूल से इस नक्शे में दर्शा दिये गये की अनुज्ञा अनान्य होगी, ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महानपालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन पृथक स्वीकृत अनिवार्य है।
4. अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृत अनिवार्य होगी।
5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करे अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करे जहाँ पर विद्युत तार हो, जब तक इस प्रकार लगे तार उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद द्वारा अन्यत्र न हटा दिये जाये।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था निर्धारित मानको के अनुसार करनी होगी।
7. निर्माण भूकम्परोधी करना होगा।
8. पक्ष को उपविधि 2008 के अनुसार वृक्ष लगाने होंगे एवं सोलर वाटर हीटिंग का प्राविधान करना होगा।
9. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15-ए के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. Utter Pradesh Apartment (Promotion of Construction Ownership and Maintenance) Act 2010 के प्राविधान अनुसार भाग-4 (5) के अनुसार कार्यवाही न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
11. भू-स्वामित्व विषयक किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
12. विकास के दौरान यदि स्वीकृत प्लान से कोई विचलन या विचलन किया जाना अभिप्रेत है, तो विचलन निष्पादित करने से पूर्व प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी।
13. आवेदित प्रस्ताव के सम्बन्ध में भविष्य में कोई अन्य देयता निर्धारित होती है तो उसका भुगतान करना होगा।
14. अग्निशमन विभाग व अन्य विभागों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
15. दिये गये शपथ पत्र के क्रम में एअर फोर्स अथॉरिटी, रेलवे विभाग की अनापत्ति 03 माह में प्रस्तुत करनी होगी।
16. मानचित्र की स्वीकृति गुप हाउसिंग (आवासीय) हेतु प्रदान की जा रही है। अन्य उपयोग की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
17. किसी भी शर्त का पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

Authorised Signatory